# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 151/2018

**अपीलान्ट्स** **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

1 इन्द्रादेवी पुत्री रामप्रसाद पत्नी परसाराम जाति जाट निवासी बलाया तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी जोधपुर।
2 समन्दुदेवी पुत्री रामप्रसाद पत्नी मनोहर जाति जाट निवासी बलाया तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी भावण्डा।
3 विमला पुत्री रामप्रसाद पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी पालडी पिचकियां।

1 विदामी पत्नी रामप्रसाद जाति जाट निवासी बलाया।
2 सहीती पत्नी भारमल जाति जाट निवासी बलाया।
3 दीपू पुत्र भारमल जाति जाट निवासी बलाया तहसील मुण्डवा
4 विजेन्द्र पुत्र भारमल जाति जाट निवासी बलाया तहसील मुण्डवा।
5 बन्टू पुत्री भारमल जाति जाट निवासी बलाया तहसील मुण्डवा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 5 नाबालिग है जिसके संरक्षक वलिया माता रेस्पोडेंट संख्या 2 सहीती पत्नी भारमल निवासी बलाया तहसील मुण्डवा।
6 नायब तहसीलदार नागौर।
7 शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा मुण्डवा।
8 गोवनी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी मुन्दियाड तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
9 बाउडी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी पांचाराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी चांतरा मांजरा तहसील व जिला नागौर।
10 गणपती पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी भंवरूराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
11 सिणगारी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी जसाराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
12 पांची पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी माधाराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी भाकरोद तहसील नागौर जिला नागौर।
13 सीता पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
14 शांति पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी मेहराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी डेहरू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 तथा 08 से 14 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 06 से 07 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 20.09.2023

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा बलाया के नामान्तरकरण सं. 335 निर्णय दिनांक 26.11.01 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.05.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 04.06.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थिया मोवनी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी मुन्दियाड तहसील मुण्डवा, बाउडी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी पांचाराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी चातरा मांजरा तहसील व जिला नागौर, गणपति पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी भंवरूराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा, सिणगारी पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी जसाराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा, पांची पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी माधाराम निवासी बलाया हाल निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर, सीता पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी सीताराम निवासी बलाया हाल निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा, शांति पुत्री स्व. चुनाराम पत्नी मेहराम जाति जाट निवासी बलाया हाल निवासी डेहरू तहसील मुण्डवा जिला नागौर द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सी. पी. सी. प्रकरण में प्रार्थीगण को बतौर रेस्पोडेंट पक्षकार बनाए जाने को लेकर दिनांक 23.10.19 को प्रस्तुत किया गया। जिन्हे बाद सुनवाई दिनांक 04.07.23 को बतौर रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 14 प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

अपर कलक्टर, नागौर

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 तथा 08 से 14 की ओर से महेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 एवं 07 की ओर से ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 335 की प्रमाणित फोटोप्रति, तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 तथा 08 से 14 के अधिवक्ता ने पांची के पेन कार्ड की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला हैं और अपीलांट्स अपने पिता के व दादा के व भाई के जीवन काल में बेरोकटोक कब्जाकाश्त व हक अधिकार रहता चला आया था जिसमें अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड के तरफ ध्यान नहीं दिया और जैर अपील नामान्तरण भी अपीलांट्स के बाले बाले ही बिना सूचना दिये ही स्वीकृत किया गया था जिससे जैर अपील नामान्तरण की अपीलांट्स को जानकारी नहीं हो सकी। अभी अपने भाई भारमल का देहान्त हुआ तो देहान्त के बाद रेस्पोडेंट कहने लगे कि इस वादग्रस्त भूमि पर इस वर्ष काश्त नहीं करने देंगे क्योंकि आपका इस भूमि में कोई हक नहीं है और न ही खातेदार है। तब अपीलांट्स ने दिनांक 16.05.18 को पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया और दिनांक 17.05.18 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18.05.18 को नामान्तरण की नकल मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश है। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– जैर अपील आदेश बिल्कुल ही अवैध एवं विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट्स स्व. चुनाराम की पौत्रियां है और स्व. श्री रामप्रसाद की जाईन्दा पुत्रियां है तथा अपीलांट्स चूनाराम व रामप्रसाद की प्रथम श्रेणी की विधिक वारीसान है फिर भी रेस्पोडेंट ने अपीलांट्स की हक व अधिकारों की पुश्तैनी भूमि को हडपने की नियत से अपीलांट्स के बाले बाले ही जैर अपील म्यूटेशन अवैध एवं विधिविरूद्व तरीके से स्वीकृत करवाया गया है जो नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक अपीलांट्स का 1/5 हिस्सा बराबर बराबर नियत करता है और अपने नियत हक एवं अधिकारों पर काबिज काश्तकार हैं तथा प्रत्येक अपीलांट्स का कानून रूप से भी 1/5– 1/5 हिस्सा में हक व अधिकार नियत होता है और मौके पर काबिज काश्तकार हैं फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 6 ने अपीलांट्स को बिना कोई सूचना दिये ही बिना कोई मौके की जांच किये ही व बिना वारिसान की जांच किये ही अपीलांट के बाले बाले ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो नामान्तरण बिल्कुल ही कानूनी रूप से विधिविरूद्व है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–रेस्पोडेंट संख्या 1 व स्व. भारमल अकेले को अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने का व रेस्पोडेंट सं 6 को स्वीकृत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 को प्रत्येक वारिसान व उतराधिकारीगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करना कानूनी रूप से आवश्यक था फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 6 रेस्पोडेंट संख्या 1 व स्व. भारमल के प्रभाव में आकर गलत एवं अवैध तरीके से नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की गई है तथा कानूनी रूप से अवैध एवं विधिविरूद्व तरीके से न तो किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं और न ही किसी को खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील एवं नामान्तरण कानूनी रूप से भी निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 02 से 05 एवं 08 से 14 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट्स के पिता स्व. चुनाराम की कब्जासुद खातेदारी की पुश्तेनी अविभाजित भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 359 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 360 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा बलाया तहसील मुण्डवा में स्थित रहता चला आया है रेस्पोडेंट्स के पिता के देहान्त के पश्चात उक्त पुश्तेनी भूमि का फौतगी म्यूटैशन चुनाराम की पुत्रीयां हम रेस्पोडेंट्स सहित स्व. रामप्रसाद के वारीसान के नाम दर्ज करना चाहिए था मगर हस्तगत नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेंट्स के भाई रामप्रसाद की पत्नी रेस्पो. सं. 1 व रामप्रसाद के पुत्र भारमल ने मिलकर केवल अपने दोनो के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जबकि राजस्व रेकर्ड से यह भलीभांति साबित था व है कि उक्त भूमि पुश्तेनी है जिससे चुनारामजी के देहान्त के पश्चात चुनाराम की मृत पुत्र रामप्रसाद के वारीसान के अलावा चुनारामजी की हम जायंदा पुत्रीयां रेस्पोडेंट्स भी कानूनन हकदार, खातेदार हुई, रही व है इस कारण रेस्पोडेट्स भी कानूनन हकदार, खातेदार हुई रही व है मगर रेस्पो. सं. 1



अपर कलक्टर, नागौर

बिदामी व उसके पुत्र स्व. भारमल ने मिल कर चुनाराम की जायंदा पुत्रीयो का नाम जानबूझ कर दर्ज नहीं होने दिया। अतः रेस्पोडेंट्स के नाम भी फौतगी म्यूटेशन में दर्ज होना चाहिए।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में नायब तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा बलाया के नामान्तरकरण सं. 335 निर्णय दिनांक 26.11.01 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। अपीलांट्स को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार नागौर द्वारा मौजा बलाया के नामान्तरकरण सं. 335 निर्णय दिनांक 26.11.01 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, रामप्रसाद के विधिक वारिसान की जांच कर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
**अपर कलक्टर, नागौर**
अपर कलक्टर, नागौर